राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2973/2024

राजपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएसी, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
4. कमांडेट 4th बटालियन, आरएसी, मुख्यालय, चैनपुरा जमवारामगढ़, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2024
आदेश की दिनांक : 26.09.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक
समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17.04.2024 को 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरा एसीपी/चयनित वेतनमान (ग्रेड पे 4200) प्रदान नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.04.2006 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी के खिलाफ कोई विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं है। अपीलार्थी को दिनांक 17.04.2024 को 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी/द्वितीय चयनित वेतनमान (ग्रेड पे 4200) से केवल इस आधार पर वंचित किया गया था कि अपीलार्थी को निंदा से दंडित किया गया था। कमांडेंट, चतुर्थ बटालियन, आरएसी, मुख्यालय, चयनपुरा, जमवारामगढ़ रोड, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित रहते हुए आदेश दिनांक 10.06.2022 द्वारा निंदा से दंडित किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 17.04.2024 को अपनी 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और अप्रैल 2024 में एसीपी/द्वितीय चयनित वेतनमान प्रदान करने के लिए अपना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि, मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि दिनांक 10.06.2022 के आदेश द्वारा लगाए गए निंदा दंड के प्रभाव के रूप में द्वितीय

चयनित वेतनमान को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान से वंचित किया गया है, जो दिनांक 07.04.2024 को देय था। समान प्रकरण वाले कर्मचारी मनोज, बेल्ट संख्या 542, जिसे अपीलार्थी के साथ नियुक्त किया गया था, को दिनांक 17.04.2022 को द्वितीय ए.सी.पी./चयनित वेतनमान प्रदान किया गया है (अनुलग्नक–3)। माननीय उच्च न्यायालय ने रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के प्रकरणों में, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 20358/2018, दिनांक 07.05.2024 के आदेश द्वारा निर्णय लिया कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह–योग्यता होने की स्थिति में वेतन वृद्धि रोकने के दंड के कारण पदोन्नति के लिए विचार करने से इंकार करना उचित योग्य नहीं है और इसे अवैध घोषित किया गया है। अपीलार्थी ने पहले ही दिनांक 23.08.2024 को एक विस्तृत और व्यापक अभ्यावेदन दिया है, जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को एसीपी/चयनित वेतनमान से वंचित किया गया, जो कि दिनांक 17.04.2024 (ग्रेड पे 4200) को देय था, को अपास्त किया जाए एवं समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जावे। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन दिनांक 23.08.2024 (अनुलग्नक–1) पर 7 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिए जाने कि निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश

दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य